अनुसूचि 14 फार्म सं0—102

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

बबलू पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा—काटेकेवा न0 39

आदेश—फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला—साहेबगंज

केस के प्रकार—धारा — प्रधान बहाली वाद संख्या 42/2019—20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और ता॰ सहित
1	2	3
17.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 556/रा0 दिनांक 14.08.2019 के द्वारा मौजा— काटेकेवा न0—39 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा— काटेकेवा न0—39में दिनांक 18.07.2019 को श्री मंगला पहाडिया, के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से बबलू पहाडिया, पिता—सुरजा पहाडिया, ग्राम— काटेकेवा, को मौजा— काटेकेवा न0—39 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा— काटेकेवा न0—39 एक प्रधानी मौजा है। जिसके बहाल प्रधान श्री कान्हु पहाडिया पिता सर्व पहाडिया थे, जिनकी मृत्यु नावल्द हो चुकी है। जि कारण प्रधानी पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बबलू पहाडिया पिता—सुरजा पहाडिया, ग्राम—काटेकेवा, थाना—तालझारी, जिला—साहेबगंज को सर्व सम्मति से प्रधान के रुप में चयन किया गया है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक बबलू पहाडिया को मौजा— काटेकेवा न0—39, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 417/रा0 दिनांक 21.8.19